

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक संख्या 4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

ईमेल—hrd.cce@gmail.com दूरभाष नं. : 0141-2705471

क्रमांक: एफ1(2)(238)पीएस/निकाशि/23/

दिनांक

—: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F1(6)DOP/A-II/84Pt. दिनांक 14-10-2022 के अन्तर्गत नियम-23 के अनुसार गठित मूल्यांकन समिति की आयोजित बैठक दिनांक 30.09.2023 में की गई अनुशंसा के क्रम में कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत ABST विषय के निम्नलिखित सहायक आचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

S.NO.	NAME	DATE OF BIRTH	DATE OF AWARD
1	ANJALI NAGAR	24-07-1984	02.11.2018
2	BIRBAL JAT	04.10.1991	08.01.2023
3	GAJENDAR KUMAR JANGIR	13.12.1988	16.10.2022
4	GANESH NARAYAN MUNDRA	22-08-1981	01.12.2022
5	HEMANT KADUNIYA	10.08.1980	09.10.2022
6	HEMLATA TAK	01.05.1984	17.07.2018
7	JYOTI KUMARI	03.07.1989	12.10.2022
8	KIRAN MEENA	13.01.1987	09.12.2022
9	LEKHRAJ MEENA	15-12-1984	21.07.2018
10	MAHENDER SINGH MEENA	18.04.1990	10.10.2022
11	NARENDRA MARWADA	10.10.1985	16-10-2022
12	PUNAM CHAND	15.04.1988	10.10.2022
13	SAMEER SINGHAL	08.10.1992	19.10.2022
14	SITA RAM CHAHLIA	20-08-1981	16-08-2018
15	SNEHA BABEL	23.07.1985	02.07.2018

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.02 12:11:33 IST
Reason: Approved



16	SUMEET KACHHARA	28-04-1989	09.10.2022
17	SUNIL KUMAR SHARMA	24-10-1976	18.10.2022
18	VINESH JAIN	25-01-1981	16-10-2022

नोट:- पदोन्नत सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) तत्काल पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें । उक्त सहायक आचार्यों (वरिष्ठ वेतनमान) को वित्त विभाग (RULES DIVISION), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F14(1)FD/Rules/2009 दिनांक 19.09.2022 के अनुसार भुगतान देय होगा ।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)/संबंधित प्राचार्य को लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली में नत्थी करें।
8. संबंधित अधिकारी ।
9. वेबसाईट प्रभारी – कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
10. स्थापना शाखा ।
11. रक्षित पत्रावली ।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.02 11:11:33 IST
Reason: Approved

2

RajKaj Ref No. : 4820412

